कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम ग्रेटर (मुख्यालय) जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी टोंक रोड जयपुर।)

क्रमांक: एफ.9( )आ.फा./ज.न.नि./21 / 1246

दिनांक 30/11/2021

स्टेप बाई स्टेप,
शिक्षा समिति जरिये अधिकृत प्रतिनिधि,
श्री रूपेन्द्र पेडीवाल,
पुत्र श्री बी.पी पेडीवाल,
पंजीकृत कार्यालय 33 संजय मार्ग हथरोई,
जयपुर।

विषयः– अग्निशमन यंत्र/उपकरण का निरीक्षण एवं अग्निशमन की दृष्टि से अभिशंषा पत्र जारी किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल भूखण्ड संख्या 02 चित्रकुट स्कीम जयपुर में निर्मित स्टेप बाई स्टेप शिक्षा समिति स्कुल की अग्निशमन अनापत्ति की वार्षिक नवीनीकरण किये जाने हेतु स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये भवन परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोफ रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपयोग नही किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। वार्षिक नवीनीकरण रिपोर्ट जारी किये जाने के पश्चात यदि किसी भी कार्य दिवस में स्थल का औचक निरीक्षण किया जाता है और अग्निशमन यन्त्र अकार्यशील अवस्था/बन्द पाये जाते है तो उक्त लापरवाही की समस्त जिम्मेदारी उक्त फर्म/संस्थान की स्वंय की होगी, व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। स्थल पर किसी भी प्रकार का संशोधित निर्माण किये जाने से पूर्व इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

इस विभाग द्वारा पूर्व जारी पत्रांक एफ.9 ( ) आ.फा./न.नि.ज/20/4530 दिनांक 12.10.2020 में अंकित शर्ते यथावत रहेगी।

यह अभिषंशा पत्र पूर्व में जारी किये गए अभिशंषा पत्र की तिथि से दिनांक 11.10.2022 तक नवीनीकृत किया जाता है।

30/11/21

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

जगदीश प्रसाद फुलवारी
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)
नगर निगम जयपुर (ग्रेटर)

E/ hotel renivel 2021/ page no 892